

कार्यालय वन वृत्त, सागर मध्य प्रदेश

Email-ccf.sgr@mp.gov.in, cfsagar@gmail.com Phone & Fax No. 07582-236262

दिनांक 17/06/2022

क्रमांक/मा.चि./FCA/2022/2461
प्रति,

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर।

विषय— जिला सागर के अंतर्गत वनमंडल दक्षिण सागर में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित आपचंद मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्ट. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/IRRIG/43200/2019)

संदर्भ— वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./979 दिनांक 31/05/2022 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./2340 दिनांक 06/06/2022

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। वनमंडल दक्षिण सागर में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित आपचंद मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 15/06/2022 को किया गया। प्रकरण में आपके द्वारा 181.39 हेक्ट. अनुशंसा की गई है। जबकि आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि 182.16 हेक्ट. वनभूमि की मांग की गई है।

तत्संबंध में कृपया प्रस्तावित एवं अनुशंसित वनभूमि में अंतर की 0.77 हेक्ट वनभूमि की स्थिति स्पष्ट करें। अतः आपसे प्राप्त प्रस्ताव की Hard Copy मूलतः संलग्न है एवं उपरोक्तानुसार आवेदक स्तर एवं वनमंडल स्तर से आवश्यक पूति हेतु प्रस्ताव EDS के माध्यम से Online आपको अग्रेषित है। कृपया आवश्यक पूर्ति कर, पूर्ण प्रस्ताव समस्त संलग्नों सहित प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु वरिष्ठ को प्रेषित किया जा सके।
संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर
दिनांक 17/06/2022

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./FCA/2022 2462
प्रतिलिपि,

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर
17/6/22